न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/285

गंगाबिशन पुत्र इसरा जाति माली निवासी उदयपुरा की टापरिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र सुन्ना जाति बैरवा निवासी उदयपुरा की टापरिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक 29.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें कामयाबी कि पूर्ण उम्मीद है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी ग्राम मियाणा पटवार हल्का मियाणा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ढीपरीचम्बल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या नयी 35 पुरानी 30 की खसरा न0 609 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र मे आगे विवादित भूमि सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि पर शातिपूर्वक काबिज है किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि खसरा न0 609 रकबा 1.18 हैक्टेयर नहरी दोयम भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर कि नियत से प्रार्थी को बार–बार परेशान करता रहता हैं तथा बार–बार प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे मे दखलअंदाजी का प्रयास करता है। जबकि अप्रार्थी क्रम 01 का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नही है। सितम्बर 2022 मे अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जबरन प्रार्थी के कब्जे की उक्त भूमि मे घुसकर कब्जा करने का

प्रयास करने लगा व धमकी देने लगा कि इस जमीन पर मैं कब्जा करके रहूंगा। तथा अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा प्रार्थी को लगातार परेशान करता रहता है। इसलिये प्रार्थी के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योकि प्रार्थी विवादित भूमि के काबिज खातेदार है, अप्रार्थी क्रम 01 को विवादित भूमि मे प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग मे व्यवधान व बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है इसी प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है यदि अप्रार्थी क्रम 01 को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित नहीं किया तो वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने मे सफल हो जावेंगा जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा मे मुल्याकंन किया जाना सभंव नही होगा । अन्त में प्रार्थी के पक्ष मे विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 01 इस आशय की ताफेसला अस्थाई निषेधाज्ञा सादर पारित फरमाई जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 01 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजी ग्राम मियाणा पटवार हल्का मियाणा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र ढीपरीचम्बल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खाता संख्या नयी 35 पुरानी 30 की खसरा न0 609 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि मे अनाधिकृत रूप से घुसकर अवैध कब्जा करने कि कोशिश नही करें एंव प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नही करे ऐसा न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश/निर्णय दिनांक 23.01.2012 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.01.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2012 निरस्त की जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्टगण के अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून एवम् कानून के सिद्धि प्राप्त

तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाने पूर्ण तरीके से व जल्दबाजी में किया गया निर्णय है जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो पर बिना कोई गोर किये मनमाने व सरसरी आरबीटट्री तरीके से आदेश पारित करने की विधिक भूल की है जिस कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.11.2022 निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि विरूद्ध है क्योकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने आदेश दिनांक 23.11.2022 में अप्रार्थी को जवाब एवम् सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित माना था तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय को अप्रार्थी क्रम–1 से जवाब तलब कर प्रार्थी / अपीलान्ट व अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के कथनो व प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना कर जल्दबाजी में आरवीट्रेटरी तरीके से आदेश पारित किया है जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय के कानूनी त्रुटी को दर्शाता है इसलिये योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.11.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मुकदमा बउनवान गंगाशिन बनाम रामप्रसाद व अन्य प्रकरण संख्या–28 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 निरस्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी क्रम–1 अन्तरिम तौर पर स्वीकार फरमाते हुये जवाब पेश होने तक अप्रार्थी क्रम–1 को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो खसरा नम्बर–609 रकबा 1.18 है0 वाके मियाणा तह० पीपल्दा जिला कोटा किसी भी भू–भाग पर अनाधिकृत रूप से घूस कर अवैध कब्जा करने की कोशिश नही करे प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में बाधा व्यवधान उत्पन्न नही करे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा आदेश दिनांक 23.11.2022 का अवलोकन किया, जो इस प्रकार है, "पत्रावली पेश हुई। वकीव वादी उप0 प्रति0न0 2 के वकील भी उपस्थित हुए। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा बाद जवाब सुनवाई पर निर्णित किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है। वकील अप्रार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।" वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय की मंशा अप्रार्थी को जवाब व सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने की प्रतीत होती है। परन्तु अंत में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बिना किसी विवेचन व विश्लेषण के उसी स्तर पर खारिज कर दिया। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि प्रश्नगत आदेश 'अंतरिम प्रकृति' का प्रतीत होता है। संभवतः अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी

के बिना जवाब दिए प्रार्थी को अंतरिम अनुतोष प्रदान नहीं करना चाहता। हमारे मत में भी आदेशिका दिनांक 23.11.2022 पर अंकित आदेश स्पष्ट व अंतिम रूप से जारी आदेश प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थी की प्रार्थना को उचित नहीं माना तथा प्रार्थना–पत्र के अंतिम निस्तारण से पूर्व वह अप्रार्थी को जवाब व सुनवाई का अवसर देना चाहता था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अगली ही लाइन में बिना किसी आधार के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.11.2022 की आदेशिका पर अंकित एक नोन स्पीकिंग, अंतरिम आदेश की प्रकृति का प्रतीत होता है। चूंकि प्रश्नगत आदेश अंतरिम आदेश की प्रकृति का नोन–स्पीकिंग आदेश प्रतीत होता है अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा। अतः आदेश दिनांक 23.11.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा अंतिम रूप से प्रकरण में स्पष्ट व सकारण निर्णय पारित करे।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.11.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अप्रार्थी सहित उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर अंतिम रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.2023 को उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा